रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ज्येष्ठ 31, 1938
No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.नि. 614(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेंजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारुप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2016 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,

   (क) नियम 3 में, खंड (51) के पश्चात, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(51क) "महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या यथा विनिर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट की जाए" अभिव्यक्तियों से वह अभिव्यक्तियां अभिप्रेत हैं जो लिखित रूप में जारी किए गए निर्देशों और नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात (http://dgca.nic.in) के लोकाधिकारी क्षेत्र में रखी गई हों";

(ख) नियम 29घ के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"29(घ) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-(1) प्रत्येक संगठन जो-

(i) नियम 134 या 134 क, यथास्थिति, के अधीन जारी अनुसूचित या गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा का धारक हैं, या

(ii) साधारण विमानन के लिए बड़े या टर्बोजेट विमान का प्रचालन कर रहा है; या

(iii) नियम 78 के अधीन किसी अनुज्ञा प्राप्त विमान क्षेत्र के प्रचालन से संलग्न है; या

(iv) वायुयान के टाइप अभिकल्प और विनिर्माण से संलग्न है; या

(v) नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन है; या

(vi) नियम 41 ख या नियम 114, यथास्थिति, के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन है; या

(vii) कोई विमान यातायात सेवा प्रदाता है,

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित तथा अनुरक्षित करेगा और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निर्देशिका जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी रीति तथा प्ररुप में तैयार करेगा और इसे स्वीकृति के लिए महानिदेशक को भेजेगा।

2- महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी किसी उपयुक्त समय में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की निगरानी कर सकेगा और संबंधित संगठन महानिदेशक या निगरानी करने के लिए प्राधिकृत किए गए ऐसे व्यक्ति से समन्वय करेगा।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" इस प्रणाली से अभिप्रेत है जो उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा स्वीकार की जाए;

(ख) "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निर्देशिका" उस दस्तावेज से अभिप्रेत है जो उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा स्वीकार की जाए;

(ग) "बड़ा विमान" उस विमान से अभिप्रेत है जिसका कुल सर्वाधिक भार 5700 किलोग्राम से अधिक है।"

(ग) नियम 42क के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"42क उड़ान कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल सदस्यों का फटिग प्रबंधन,-

(1) उड़ान कर्मीदल सदस्यों तथा केबिन कर्मीदल सदस्यों की सतर्कता स्तर पर फटिग के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक द्वारा उड़ान काल की अधिकतम सीमाएं, उड़ान ड्यूटी अवधि तथा उड़ान कर्मीदल सदस्यों और केबिन कर्मीदल सदस्यों की उड़ान ड्यूटी अवधि एवं ऐसे कर्मीदल सदस्यों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षित न्यूनतम विश्राम अवधि की विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत या भारतीय प्रचालक द्वारा वेट-लीज्ड उड़ान मशीन का कोई उड़ान कर्मीदल सदस्य या केबिन कर्मीदल सदस्य महानिदेशक द्वारा उप-नियम (1) में अनुबंधित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक भारतीय प्रचालक महानिदेशक द्वारा बनाए गए अनुबंधों के अनुसार अपने उड़ान कर्मीदल सदस्यों तथा केबिन कर्मीदल सदस्यों के लिए उड़ान तथा ड्यूटी समय की सीमाओं और न्यूनतम विश्राम अवधि की स्कीम तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा और महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी स्कीम संबंधित प्रचालक की प्रचालन निर्देशिका का भाग होगी।

स्पष्टीकरण.- *इस नियम के प्रयोजन के लिए, ''भारतीय प्रचालक उस प्रचालक से अभिप्रेत है जिसके कारबार का मुख्य स्थान या उसका स्थायी निवास भारत में है।";*

(ग) नियम 54 में, ''इस निमित्त महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संगठन द्वारा प्राधिकृत और/या व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार किसी अनुमोदित संगठन से प्रमाणन के लिए लिखित प्राधिकार धारक व्यक्ति या व्यक्तियों या द्वारा और प्राधिकार के अनुसार हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(घ) नियम 60 में,–

(घ) उप-नियम (2) में, खंड (क) और उप-खंड (i), (ii) और उप-खंड (ख) का (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(क) महानिदेशक किसी वायुयान, वायुयान के संघटक और उपस्कर की चीज की बाबत वायुयान की सतत उड़नयोग्यता तथा उसके अनुरक्षण के मानक और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(क) महानिदेशक 'निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए' अनुरक्षण अपेक्षाओं को अधिसूचित कर 'सकेगा' और अनुरक्षण प्रणाली को अनुमोदित कर सकेगा-

(i) वायुयान की सतत उड़नयोग्यता और अपेक्षित अनुरक्षण सुविधाएं;

(ii) ''उड़ान काल के रूप में अवधि', कैलेण्डर काल या कोई अन्य आधार जो निरीक्षणों, परीक्षणों या पूर्ण मरम्मत या कोई अन्य अनुरक्षण कार्य के बीच में पड़ सकता है;

(iii) अनुरक्षण के संबंध में रखे गए अभिलेखों की अन्तर्वस्तुएं और संरक्षण की अवधि।'';

(ख) उप-नियम (3) में,-

(i) खंड (क) में ''अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूचियों या प्रणालियों में या यथा अनुबंधित'' शब्दों का लोप किया जाए;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

(ख) ''वायुयान का अनुरक्षण नियम 61 के अधीन किसी अनुज्ञाप्राप्त द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार किसी अनुमोदित अनुरक्षण संगठन द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वाराया उसके पर्यवेक्षण में किया गया है;'' और;

(iii) खंड (ग) में ''अनुमोदित'' शब्द का लोप किया जाए;

(ख) उप-नियम (4) में, ''व्ययन'' शब्द का लोप किया जाए;

(ग) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(6) माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट वायुयान, ग्लाइडर, बैलून या वायुपोत का साक्ष्यांकन प्रवर्ग क का या प्रवर्ग ख 1 या प्रवर्ग ख 3 में अनुज्ञप्तिधारक

वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर या कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो महानिदेशक नागर विमानन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, द्वारा किया जा सकेगा।

(च) नियम 61 में,–

(क) उप-नियम (1) में ''अनुज्ञप्तियों, प्राधिकार या अनुमोदन पत्रों या सक्षमता प्रमाणपत्रों'' शब्दों के स्थान पर ''अनुज्ञप्तियों या प्राधिकार'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम (2) में ''अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र'' शब्द का लोप किया जाए;

(ग) उप-नियम (3) में, मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद को अन्तःस्थापित किया जाए; अर्थात् :-

''(ग क) प्रवर्ग ख3,''

(घ) उप-नियम 5 में,-

(i) खंड (घ) में, उप-खंड (i) और उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंडों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(i) प्रवर्ग क, उप-प्रवर्ग ख 1.2, ख 1.4 और प्रवर्ग ख 3 के लिए प्रचालन वायुयान पर तीन वर्ष का व्यावहारिक वायुयान अनुरक्षण अनुभव; और

(ii) उप-प्रवर्ग ख 1.1, और ख 1.3 और प्रवर्ग ख 2- के लिए प्रचालन वायुयान पर पांच वर्ष का व्यावहारिक वायुयान अनुरक्षण अनुभव:''

(ii) खंड- (ड़) और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित पाठ को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

''(ड़) वह अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने कौशल जिसके लिए आवेदन किया है, का प्रदर्शन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में करेगा।"

(ड़) उप-नियम (6) में खंड (ख) के स्थान पर निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ख) महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत प्रशिक्षण लेना, अनुरक्षण अनुभव प्राप्त करना और अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने कौशल जिसके लिए आवेदन किया है, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, का प्रदर्शन करना।";

(च) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(7) जो आवेदक उक्त परीक्षणों में से किसी में असफल रहता है, उसे महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य अवधि के बीत जाने के पश्चात ही ऐसी परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।'';

(छ) उप-नियम (9) और 10 का लोप किया जाए;

(ज) उप-नियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :-

''(12) विभिन्न प्रवर्ग के वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारकों के पास निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रवर्ग क का अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित वायुयान के स्थूल प्रवर्ग के लिए नियम 133 ख के अधीन किसी अनुमोदित संगठन द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पर विशेष रूप से

पृष्ठांकित अनुरक्षण कार्य की सीमा के भीतर लघु अनुसूचित लाइन अनुरक्षण और साधारण सर्विस करने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा और ''यह प्रमाणन विशेषाधिकार'' अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उस अनुरक्षण संगठन जिसने प्राधिकार जारी किया है, स्वंय किए गए कार्य तक निर्बंधित होगा।

(ii) प्रवर्ग ख1 का अनुज्ञप्ति धारक विमान संरचना, विद्युत प्लांट, यांत्रिक और वैद्यूत प्रणाली, उड्डयानिकी संबंधी कार्य सर्विस क्षमता साबित करने के लिए साधारण परीक्षण अपेक्षित हैं और न कि अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित टाइप विमान की बाबत समस्या निवारण अपेक्षित है, पर सहायक कार्मिक रूप में सर्विस और सहयोग करने के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.-

(क) प्रवर्ग ख1 के अंतर्गत प्रवर्ग क का उपयुक्त उप-प्रवर्ग होगा;

(ख) माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट वायुयान, ग्लाइडर, बैलून या वायुपोत का साक्ष्यांकन प्रवर्ग क का या प्रवर्ग ख 1 या प्रवर्ग ख 3 में अनुज्ञप्तिधारक वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर या कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो महानिदेशक नागर विमानन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) प्रवर्ग ख2 का अनुज्ञप्तिधारक-

(क) उड्डयानिकी और विद्युत प्रणाली, इंजन के भीतर उड्डयानिकी और विद्युत प्रणाली तथा यांत्रिक प्रणाली जहां अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित टाइप वायुयान की अपनी सर्विस सक्षमता साबित करने के लिए साधारण परीक्षण अपेक्षित है, पर अनुरक्षण करने के पश्चात् सर्विस जारी रखने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा;

(ख) अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित टाइप विमान के अनुमोदित अनुरक्षण संगठन द्वारा जारी किए गए प्रमाणन प्राधिकार पर विशेष रूप से पृष्ठांकित कार्य की सीमा के भीतर लघु अनुसूचित लाइन अनुरक्षण और साधारण दोष सुधार करने के पश्चात सर्विस जारी रखने के लिए प्रमाणपत्र जारी करना और यह प्रमाणन विशेषाधिकार उस कार्य तक निर्बंधित होगा जिसे अनुज्ञप्तिधारक ने उस अनुरक्षण संगठन जिसने प्रमाणन प्राधिकार जारी किया है, में स्वयं निष्पादित किया है और यह प्रमाणन विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति पर पहले से पृष्ठांकित रेटिंग तक सीमित होगी।

(iv) प्रवर्ग ख3 का अनुज्ञप्तिधारक विमान संरचना, इंजन और यांत्रिक तथा विद्युत प्रणाली, उड्डयानिकी प्रणाली संबंधी कार्य जहां अपनी सर्विस सक्षमता साबित करने के लिए साधारण परीक्षण अपेक्षित है न कि पिस्टन इंजन, नॉन प्रेसराइज्ड विमान जिसका अधिकतम उठान भार 2000 किलोग्राम से कम है, का समस्या निवारण, पर अनुरक्षण करने के पश्चात सर्विस जारी रखने के लिए प्रणाणपत्र जारी कर सकेगा।

(v) प्रवर्ग ग का अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित टाइप विमान की बाबत मूल आधार अनुरक्षण करने के पश्चात सर्विस जारी रखने के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा। यह विशेषाधिकार वायुयान की सभी प्रणालियों सहित समूचे विमान पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण.- साधारण परीक्षण उस परीक्षण से अभिप्रेत है जो अनुमोदित अनुरक्षण डाटा तथा ऐसी प्रकृति में वर्णित है जो वायुयान नियंत्रण, स्वीच, विल्ट-इन टेस्ट इक्विपमेंट (बीआईटीआई), केंद्रीय अनुरक्षण कंप्यूटर (सीएमसी) या वाह्य परीक्षण उपकरण जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण अपेक्षित नहीं है, के माध्यम से वायुयान प्रणाली की सर्विस सक्षमता सत्यापित की जा सकेगी।''

(झ) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थातः-

"(13) इस प्रमाणन विशेषाधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब अनुज्ञप्तिधारक महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करे।

(ञ) उप-नियम 14 में,-

(i) खंड (ii) में, अंक "2012" के स्थान पर अंक "2016" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(ii) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"इस नियम के संशोधन के होते हुए भी, महानिदेशक 31 दिसंबर, 2016 के पुराने फार्मेट के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी कर सकेंगे।"

(ट) उप-नियम (15) में, "या अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र" शब्दों का लोप किया जाए;

(ठ) उप-नियम (16) में "या अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र" शब्दों का लोप किया जाए;

(छ) नियम 67क, के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात,-

"67कक वायुयान अनुरक्षण कार्मिक की लागबुकें- प्रत्येक व्यक्ति जो वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति का धारक है या इन नियमों के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के अर्हक प्रक्रिया में हैं, वह एक निजी लागबुकस रीति एवं प्ररुप में रखेगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी लागबुक में उसके द्वारा किए गए या पर्यवेक्षित वायुयान अनुरक्षण कार्य लागबुक में अंकित करेगा।"

(ज) नियम 67ख में, अंक, शब्द और अक्षर "67 और 67क" के स्थान पर अंक, शब्द और अक्षर 67, 67 क और 67क क को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एवी.11012/4/2013-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन तारीख 10 मई, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 494(अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016

G.S.R. 614(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(A) In rule 3, after clause (51), the following clause shall be inserted, namely:-

"(51A) "specified or as specified or may be specified by the Director-General" means the directions issued in writing and placed in public domain on the website of the Directorate General of Civil Aviation i.e. (http://dgca.nic.in)";

(B) for rule 29D, the following shall be substituted, namely:-

"**29(D). Safety management system.—**(1) Every organization which –

(i) is holding a Scheduled or Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134 or 134A, as the case may be; or

(ii) is conducting operations of large or turbojet aeroplanes for general aviation; or

(iii) is engaged in the operation of an aerodrome licensed under rule 78; or

(iv) is engaged in the type design and manufacture of aircraft; or

(v) is a maintenance organization approved under rule 133B; or

(vi) is a training organization approved under rule 41B or rule 114, as the case may be; or

(vii) is an air traffic service provider,

shall establish and maintain a Safety Management System and prepare a Safety Management System Manual in such form and manner as may be specified by the Director-General and submit the same to the Director-General for acceptance.

(2) The Director-General or any other officer authorized by him may, at any reasonable time carryout oversight of the Safety Management system and the concerned organization shall co-operate with the Director-General or the person so authorized to carry out the oversight.

Explanation: —for the purpose of this rule, -

(a) "Safety Management System" means the system as accepted by the Director-General under sub-rule (1);

(b) "Safety Management System Manual" means the document as accepted by the Director-General under sub-rule (1);

(c) "large aeroplane" means an aeroplane with all-up weight exceeding 5700 kilograms."

(C) for rule 42A, the following shall be substituted, namely: —

"**42A. Fatigue Management of Flight Crew and Cabin Crew Members.—**

(1) Taking into account the likely impact of fatigue on the level of alertness of flight crew members and cabin crew members, the maximum limits of flight time, flight duty period and duty period of flight crew members as well as cabin crew members, and also the minimum rest periods required to be observed by such crew members, may be specified by the director-General.

(2) No flight crew member or cabin crew member of a flying machine registered in India, or wet-leased by an Indian operator, shall contravene the limitations stipulated by the Director-General under sub-rule (1).

(3) Every Indian operator shall establish a scheme of flight and duty time limitations and minimum rest periods for its flight crew members as well as cabin crew members in accordance with the stipulations made by the Director-General under sub-rule (1) and submit the same to the Director-General for approval and after approval by the Director-General, such scheme shall form part of the Operations Manual of the concerned operator.

Explanation.—*For the purposes of this rule, 'Indian operator' means an operator having his principal place of business, or his permanent residence, in India.";*

(D) in rule 54, for the words "and/or person authorized by organisation approved by the Director General in this behalf", the words, "or by a person or persons holding written authorisation for certification from an approved organization in accordance with the criterion specified by the Director-General and the certificate is signed as per the authorisation." shall be substituted.;

(E) in rule 60,—

(a) in sub-rule (2), for clause (a) and sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(a) The Director-General may, in respect of any aircraft, aircraft component and item of equipment, specify standards and conditions for continuing airworthiness of the aircraft and its maintenance.

(b) The Director-General shall notify the maintenance requirements and approve the maintenance system keeping in view–

(i) the continued airworthiness of the aircraft and the maintenance facilities required;

(ii) the period in terms of flight time, calendar time or any other basis, which may elapse with safety between inspections, tests, or overhauls or any other maintenance work;

(iii) the content and period of preservation of the records kept in respect of maintenance.";

(b) in sub-rule (3), —

(i) in clause (a), the words "or as stipulated in the approved maintenance schedules or systems" shall be omitted;

(ii) for the clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) maintenance of aircraft has been carried out by or under the supervision of a person licensed or authorised under rule 61, or authorised in writing by an approved maintenance organisation in accordance with the criterion specified by the Director-General; and ";

(iii) in clause (c), the word "approved" shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), the word "disposition" shall be omitted;

(d) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) Microlight, light sport aircraft, glider, balloon or an airship shall be certified by an aircraft maintenance engineer holding a licence in Category A or Category B1 or Category B3 or an authorised person subject to the requirements as specified by the Director-General.";

(F) in rule 61,—

(a) in sub-rule (1), for the words "licences, authorisation or approvals or certificates of competency", the words "licences or authorisations" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), the words "approval or certificate of competency," shall be omitted;

(c) in sub-rule(3), after item (c), the following item shall be inserted, namely:-

"(ca)Category B3";

(d) in sub-rule (5),—

(i) in clause (d), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(i) for Category A, Sub-categories B1.2, B1.4 and Category B3— three years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; and

(ii) for Sub-categories B1.1 and B1.3 and Category B2 – five years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft:"

(ii) for clause (e) and the explanation, the following text shall be substituted, namely:-

"(e) he shall demonstrate his skill to exercise the privileges of the licence for which an application has been made, in the manner specified by the Director-General."

(e) in sub-rule (6), for clause (b), the following shall be substituted, namely: -

"(b) to undergo relevant training, acquire maintenance experience as specified by the Director-General, and demonstrate skill to exercise the privileges of the licence for which an application has been made, in a manner specified by the Director-General.";

(f) for sub-rule (7), the following shall be substituted, namely: —

"(7) An applicant who fails in any examination shall be permitted to appear again for such examination only after lapse of such other period as specified by the Director-General.";

(g) sub-rules (9) and (10) shall be omitted;

(h) for sub-rule (12), following shall be substituted, namely:-

"(12) The holders of various categories of Aircraft Maintenance Engineer's Licenses shall have the following privileges, namely:-

(i) Category A licence holder to issue certificates for release to service after minor scheduled line maintenance and simple defect rectification within the limits of maintenance tasks specifically endorsed on the authorisation issued by a maintenance organisation approved under rule 133B for the broad category of aircraft endorsed on the licence and the certification privileges shall be restricted to the work carried out by the licence holder himself in the maintenance organization that issues the authorisation.

(ii) Category B1 licence holder to issue certificates for release to service and act as support staff following the maintenance performed on aircraft structure, power-plant, mechanical and electrical systems, work on avionics system requiring simple tests to prove their serviceability and not requiring trouble shooting, in respect of an aircraft type endorsed on the licence.

Explanation.—

(a) Category B1 shall include the appropriate sub-category of Category A;

(b) Microlight, light sport aircraft, glider, balloon or an airship shall be certified by an aircraft maintenance engineer holding a licence in Category A or Category B1 or Category B3 or an authorised person subject to meeting the requirements as specified by the Director-General.

(iii) Category B2 licence holder to issue —

(a) certificates of release to service after maintenance on avionic and electrical systems, avionics and electrical system within engine and mechanical systems requiring only simple tests to prove their serviceability of aircraft type endorsed on the licence;

(b) certificates of release to service after minor scheduled line maintenance and simple defect rectification within the limits of tasks specifically endorsed on the certification authorisation issued by an approved maintenance organisation of aircraft type endorsed on the licence and this certification

privilege shall be restricted to work that the licence holder has personally performed in the maintenance organisation which issued the certification authorisation and limited to the rating already endorsed on the licence.

(iv) Category B3 licence holders to issue certificates of release to service after maintenance on aeroplane structure, engine and mechanical and electrical systems, work on avionic systems requiring only simple tests to prove their serviceability and not requiring troubleshooting of 'piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg Maximum Take-off Mass and below'

(v) Category C licence holders to issue certificates of release to service after base maintenance in respect of an aircraft of the type endorsed on the licence. The privileges apply to the aircraft in its entirety including all systems.

Explanation.—Simple test means a test described in approved maintenance data and such in nature that aircraft system serviceability is verified through aircraft controls, switches, Built-in Test Equipment (BITE), Central Maintenance Computer (CMC) or external test equipment not requiring special training." ;

(i) for sub-rule (13), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(13) The certification privileges shall be exercised only if the holder of licence fulfills the conditions as specified by the Director-General."

(j) the sub-rule (14),—

(i) in clause (ii) for the figure "2012", the figure "2016" shall be substituted; and

(ii) after clause (ii),the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) Notwithstanding the amendment of this rule, the Director-General may issue the licenses as per the old format up to 31st December, 2016."

(k) in sub-rule (15), the words "or approval or certificate of competency" shall be omitted;

(l) in sub-rule (16), the words "or approval or certificate of competency" shall be omitted;

(G) after rule 67A, the following rule shall be inserted, namely,—

"67AA. Log Books of Aircraft Maintenance Personnel — Every person holding an Aircraft Maintenance Engineer's Licence or in the process of qualifying for such licence under these rules shall maintain a personal log book, in the form and manner as specified by the Director General and record aircraft maintenance work carried out or supervised by him in such log book."

(H) in rule 67B, for figures, words and letters "67 and 67A", the figures, words and letters "67, 67A and 67AA" shall be substituted.

[F. No. AV. 11012/4/2013 – A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide G.S.R. 494(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 10th May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.